



2026: AHC: 51537-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या – 4652/2026

पूनम गिरीयाची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 13 अन्यप्रतिपक्षीगण

याची के अधिवक्ता : मुईज़ उद्दीन

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता : सरकारी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याची के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
2. शुरुआत में ही, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने इस बात की ओर संकेत किया है कि इस तत्काल मामले में विवेचना पहले ही समाप्त हो चुकी है और अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।
3. इसके विपरीत, याची के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त तथ्य का खंडन नहीं कर सके, किंतु उन्होंने कहा कि वह इस याचिका पर दबाव नहीं डालना चाहते हैं और इसे वापस लेना चाहते हैं।
4. उपरोक्त बयान के आलोक में, यह रिट याचिका वापस लिए जाने के आधार पर खारिज की जाती है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

13 मार्च, 2026

के.यू.

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।